



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12245

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 7072 वर्ष 2025

अवनीश कुमार

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

अपीलकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : पवन सिंह पुंडीर, एस.एम. अयाज अली
प्रत्यर्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 77

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. क्षेत्राधिकारी (नगर), फ़िरोज़ाबाद द्वारा दाखिल शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत तत्काल आवेदन दायर किया है, जिसमें उस राहत की मांग की गई है जिसका उल्लेख आवेदन के प्रार्थना खंड में किया गया है।
3. आवेदन में उल्लिखित राहत नीचे विस्तृत रूप से दी गई है:-

"अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन को स्वीकार करने और केस संख्या 94500 वर्ष 2024 (राज्य बनाम सूरज ठाकुर एवं अन्य) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की कृपा करे, जो कि केस अपराध संख्या 246 वर्ष 2019, धारा 379, 411 आईपीसी, थाना-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फ़ैरोज़ाबाद उत्तर, जिला फ़ैरोज़ाबाद से संबंधित है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फ़ैरोज़ाबाद की न्यायालय में लंबित है। इसके साथ ही दिनांक 26.06.2021 के आरोप पत्र और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फ़ैरोज़ाबाद द्वारा पारित दिनांक 27.11.2024 के संज्ञान आदेश को भी रद्द करने की कृपा करे।"

4. इस न्यायालय ने, दिनांक 07.01.2026 के आदेश के माध्यम से संबंधित तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फ़ैरोज़ाबाद को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि आखिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 और 469 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान क्यों लिया गया। दिनांक 07.01.2026 का आदेश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"1. क्षेत्राधिकारी (नगर), फ़ैरोज़ाबाद द्वारा आज दाखिल किया गया व्यक्तिगत शपथ पत्र रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

2. आज, श्री प्रवीण कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी, फ़ैरोज़ाबाद, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उन्होंने न्यायालय को मामले के तथ्यों से अवगत कराया कि घटना 13.04.2019 को हुई थी, जिसके संबंध में थाना फ़ैरोज़ाबाद उत्तर, जिला फ़ैरोज़ाबाद में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 379 आई.पी.सी. के तहत केस अपराध संख्या 246 वर्ष 2019 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जबकि विवेचना के दौरान सात व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए, जो इस प्रकार हैं: (i) अमन शाक्य, (ii) तनुज गौतम, (iii) आदर्श यादव, (iv) विशाल उर्फ राजा, (v) राहुल उर्फ भगौना, (vi) सूरज ठाकुर और (vii) अवनीश कुमार।

2. विवेचना के उपरान्त, अभियुक्त (i) अमन शाक्य, (ii) तनुज गौतम, (iii) आदर्श यादव, (iv) विशाल उर्फ राजा, (v) राहुल उर्फ भगौना के विरुद्ध धारा 379 और 411 आई.पी.सी. के तहत 14.06.2019 को पहला आरोप पत्र तैयार किया गया और केस डायरी के साथ संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 17.06.2019 को उपरोक्त पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान लिया।



3. हालाँकि, दो अभियुक्तों, सूरज ठाकुर और अवनीश कुमार के विरुद्ध विवेचना लंबित रही। इन दो अभियुक्तों के संबंध में धारा 379 और 411 आई.पी.सी. के तहत दूसरा आरोप पत्र लगभग दो वर्ष बाद 26.06.2021 को तैयार किया गया था। यह दूसरा आरोप पत्र 24.11.2024 तक क्षेत्राधिकारी (नगर), जिला फ़िरोज़ाबाद के कार्यालय में रखा रहा और उसके बाद, इसे 24.11.2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो कि दंड प्रक्रिया संहिताकी धारा 468 और 469 (बी.एन.एस.एस. की संगत धारा 414 और 415) के तहत प्रदान की गई परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद था। दंड प्रक्रिया संहिताकी धारा 468 और 468 के प्रावधान नीचे विस्तृत रूप से दिए गए हैं:"

“धारा 468. परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान लेने पर रोक-

- (1) इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी न्यायालय उप-धारा
- (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के अपराध का संज्ञान, परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा।

(2) परिसीमा काल निम्नलिखित होगा-

(क) छह मास, यदि अपराध केवल जुर्मने से दंडनीय है;

(ख) एक वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है;

(ग) तीन वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अपराधों के संबंध में जिन्हें एक साथ विचारित किया जा सकता है, परिसीमा काल का निर्धारण उस अपराध के संदर्भ में किया जाएगा जो अधिक कठोर दंड या यथास्थिति, सबसे कठोर दंड से दंडनीय है।

धारा 469. परिसीमा काल का प्रारंभ-

(1) किसी अपराधी के संबंध में, परिसीमा काल निम्नलिखित समय से प्रारंभ होगा-

(क) अपराध की तिथि से; या



(ख) जहाँ अपराध किए जाने की जानकारी व्यथित व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को नहीं थी, वहाँ उस प्रथम दिन से जब ऐसा अपराध उस व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी की जानकारी में आता है, जो भी पहले हो; या

(ग) जहाँ यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसके द्वारा किया गया था, वहाँ उस प्रथम दिन से जब अपराधी की पहचान व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को ज्ञात होती है, जो भी पहले हो।

(2) उक्त अवधि की गणना करने में, उस दिन को निकाल दिया जाएगा जिससे ऐसी अवधि की गणना की जानी है।”

4. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, धारा 468 और 469 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए, 27.11.2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 के तहत संज्ञान लिया, जो तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। यह संज्ञान तीन वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद लिया गया, जो कानून के प्रावधानों के विरुद्ध और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। इस प्रकार, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है।
5. न्यायालय के समक्ष उपस्थित क्षेत्राधिकारी ने न्यायालय को आगे अवगत कराया कि जैसे ही यह तथ्य जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, उस दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच शुरू कर दी गई है जिसने घटना की तिथि से तीन वर्ष बाद न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में देरी की।
6. मजिस्ट्रेट का न्यायालय धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद संज्ञान नहीं ले सकता है और यदि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिसीमा काल की अवधि के बाद संज्ञान लिया जाता है, तो वह कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है, इसलिए, विचारण न्यायालय की कार्यवाही केवल दो अभियुक्तों, सूरज ठाकुर और अवनीश कुमार के संबंध में स्थगित कर दी गई है।



7. न्यायालय के समक्ष उपस्थित क्षेत्राधिकारी ने न्यायालय को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि जांच चल रही है और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाएगा तथा जांच की रिपोर्ट और उसके परिणाम से इस न्यायालय को अवगत कराया जाएगा।
8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि परोक्ष रूप से, वे कथित अभियुक्त, जिनका इसी तरह की प्रकृति के लगभग आठ मामलों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, बरी हो गए हैं, क्योंकि कोई भी न्यायालय परिसीमा काल की समाप्ति के बाद संज्ञान नहीं ले सकता है।
9. वर्तमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद और तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद जिन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया था, उन्हें **19.01.2026** को या उससे पहले अपने नाम का खुलासा करते हुए इस न्यायालय के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।
10. विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय ने केवल अभियुक्त सूरज ठाकुर और अवनीश कुमार के संबंध में कार्यवाही पर रोक लगाई है।
11. क्षेत्राधिकारी (नगर), फिरोजाबाद अगली निर्धारित तिथि पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
12. पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद, जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वे मासिक बैठक में इस आदेश पर ध्यान दें और सभी पुलिस अधिकारियों को सूचित करें कि वे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करें और कानून के तहत निर्धारित परिसीमा काल के भीतर पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि वे संज्ञान लेते समय धारा 468 और 469 दंड प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ धारा 514 और 515 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का ध्यान रखें।
13. इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए **19.01.2026** को सूचीबद्ध करें।
14. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को वर्तमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद और तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, जिन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया था, से उक्त स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।”



5. आज, श्री प्रवीण कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी, फिरोजाबाद, इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं और उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि घटना 13.04.2019 को हुई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट 16.04.2019 को दर्ज की गई थी तथा दो अभियुक्तों, अवनीश कुमार और सूरज ठाकुर के विरुद्ध आरोप-पत्र 26.06.2021 को तैयार कर लिया गया था, परंतु इसे तत्कालीन क्षेत्राधिकारी और क्षेत्राधिकारी कार्यालय के मुख्य आरक्षी द्वारा अपने पास ही रखा गया; और चूंकि अपराध तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय था, इसलिए यदि कथित घटना की तिथि से तीन वर्ष के भीतर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकता क्योंकि यह धारा 468 और 469 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वर्जित है और परोक्ष रूप से अभियुक्त बरी हो जाएगा क्योंकि समय-बाधित मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकेगी। वर्तमान मामले में, आरोप-पत्र तीन वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद 24.11.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त प्रावधानों की अनदेखी करते हुए 25.11.2024 को संज्ञान लिया और यह संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के बाद लिया गया।
6. क्षेत्राधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी ने न्यायालय को आगे सूचित किया कि तत्कालीन क्षेत्राधिकारी वर्तमान में सेवा में नहीं हैं और मुख्य आरक्षी सेवा में हैं, इसलिए मुख्य आरक्षी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाएगा।
7. इस न्यायालय ने दिनांक 01.12.2025 के आदेश का अवलोकन किया है। उक्त आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:
1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन सिंह पुंडीर और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
 2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत वर्तमान आवेदन निम्नलिखित प्रार्थना



के लिए दायर किया है, जिसका उल्लेख इस आवेदन के प्रार्थना खंड में किया गया है। प्रार्थना खंड नीचे विस्तृत है:-

"अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताके तहत वर्तमान आवेदन को स्वीकार करने और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के न्यायालय में लंबित केस संख्या 94500 वर्ष 2024 (राज्य बनाम सूरज ठाकुर एवं अन्य), जो थाना- फिरोजाबाद उत्तर, जिला- फिरोजाबाद के केस अपराध संख्या 246 वर्ष 2019, धारा 379, 411 भारतीय दंड संहिता से उत्पन्न है, की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ दिनांक 26.06.2021 के आरोप-पत्र और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा पारित दिनांक 27.11.2024 के संज्ञान आदेश को रद्द करने की कृपा करें।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन सिंह पुंडीर ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 13.04.2019 की कथित घटना के संबंध में, श्री कृष्णकांत द्वारा अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, और थाना- फिरोजाबाद उत्तर, जिला- फिरोजाबाद की पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस अपराध संख्या 246 वर्ष 2019, धारा 379 भारतीय दंड संहिता, 1860 (तदनुरूपी धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

4. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री प्रतीक त्यागी ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में, अमन शाह, तनुज गौतम, आदर्श यादव, विशाल राजा और राहुल उर्फ भगौना के विरुद्ध धारा 379 और 411 भारतीय दंड संहिता (तदनुरूपी धारा 303(2) एवं 317(2) भारतीय न्याय संहिता) के तहत दिनांक 14.06.2019 को पहली पुलिस रिपोर्ट/आरोप-पत्र तैयार किया गया था।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पूरक केस डायरी संख्या 2 में दर्ज सह-अभियुक्त विशाल राजा के दिनांक 04.10.2020 के इकबालिया बयान में पहली बार आवेदक-अभियुक्त और एक सूरज ठाकुर का नाम सामने आया और विवेचक ने संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा अवलोकन/सत्यापन के पश्चात दिनांक 26.06.2021 को संबंधित न्यायालय में आवेदक और सूरज ठाकुर के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 27.11.2024 को आवेदक के विरुद्ध धारा 379 और 411 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया और उसके पश्चात मामले को केस संख्या 94500 वर्ष 2024 (राज्य बनाम सूरज ठाकुर एवं अन्य) के रूप में दर्ज किया गया।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कथित घटना 13.04.2019 को हुई थी; प्रथम सूचना रिपोर्ट 16.04.2019 को धारा 379 और 411 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज की गई थी, जो तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है; पहला आरोप-पत्र पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 379 और 411 भारतीय दंड संहिता के तहत 14.06.2019 को तैयार और प्रस्तुत किया गया था। आवेदक के वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि, पहली बार, आवेदक का नाम सह-अभियुक्त विशाल राजा के दिनांक 04.10.2022 के इकबालिया बयान में सामने आया, जो पूरक केस डायरी पर्चा संख्या 2 में दर्ज किया गया था और उसके पश्चात, आवेदक और सूरज ठाकुर के विरुद्ध धारा 379 और 411 भारतीय दंड संहिता के तहत दिनांक 26.06.2021 को पूरक आरोप-पत्र तैयार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, परंतु विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 26.06.2021 के पूरक आरोप-पत्र पर तीन वर्ष बाद 27.11.2024 को संज्ञान लिया और मामले को केस संख्या 94500 वर्ष 2019 (राज्य बनाम सूरज ठाकुर एवं अन्य), धारा 379 और 411 भारतीय दंड संहिता, थाना- फिरोजाबाद उत्तर, जिला- फिरोजाबाद के रूप में



दर्ज किया। इस प्रकार, धारा 467 सहपठित 468 सहपठित 469 दंड प्रक्रिया संहिता (तदनुरूपी धारा 513, 514 और 515 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अनुसार, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकते क्योंकि यह समय-बाधित है और धारा 469 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के बाहर है। साथ ही, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा पारित दिनांक 27.11.2024 के संज्ञान आदेश में परिसीमा काल की समाप्ति के बाद संज्ञान लेने का कोई कारण भी उल्लेखित नहीं किया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि धारा 467, 468, 469 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निहित अनिवार्य प्रावधान के अनुसार, संबंधित न्यायालय धाराओं में दिए गए परिसीमा काल के बाद संज्ञान नहीं ले सकता है, इसलिए संबंधित विचारण न्यायालय में लंबित कार्यवाही कानून/दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए आवेदक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है, अर्थात् "किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं"। धारा 467, 468, 469 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान नीचे विस्तृत हैं:

"467. परिभाषाएं- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "परिसीमा काल" से वह अवधि अभिप्रेत है जो धारा 468 में किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्दिष्ट है।

468. परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान लेने पर रोक- (1) इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी न्यायालय उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के अपराध का संज्ञान, परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) परिसीमा काल निम्नलिखित होगा-

(क) छह मास, यदि अपराध केवल जुर्मने से दंडनीय है;

(ख) एक वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है;

(ग) तीन वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है।"

1[(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अपराधों के संबंध में जिन्हें एक साथ विचारित किया जा सकता है, परिसीमा काल का निर्धारण उस अपराध के संदर्भ में किया जाएगा जो अधिक कठोर दंड या यथास्थिति, सबसे कठोर दंड से दंडनीय है।]

469. परिसीमा काल का प्रारंभ- (1) किसी अपराधी के संबंध में, परिसीमा काल निम्नलिखित समय से प्रारंभ होगा- (क) अपराध की तिथि से; या (ख) जहाँ अपराध किए जाने की जानकारी व्यथित व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं थी, वहाँ उस प्रथम दिन से जब ऐसा अपराध उस व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी की जानकारी में आता है, जो भी पहले हो; या (ग) जहाँ यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसके द्वारा किया गया था, वहाँ उस प्रथम दिन से जब अपराधी की पहचान व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को ज्ञात होती है, जो भी पहले हो।

(2) उक्त अवधि की गणना करने में, उस दिन को निकाल दिया जाएगा जिससे ऐसी अवधि की गणना की जानी है।"

7. अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में वर्णित किया गया है। धारा 379 और 411 के संबंध में प्रथम अनुसूची का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

धारा	अपराध	सज़ा	संज्ञेय	ज़मानती या	किस न्यायालय
------	-------	------	---------	------------	--------------

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



			या असंज्ञेय	गैर-ज़मानती	द्वारा विचारणीय कोई भी मजिस्ट्रेट
379	चोरी	3 साल की कैद, या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	गैर-ज़मानती	कोई भी मजिस्ट्रेट
411	बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना, यह जानते हुए कि वह चोरी की है	3 साल की कैद, या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	गैर-ज़मानती	कोई भी मजिस्ट्रेट

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री पंकज कुमार त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में, कानून के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, लेकिन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 468 और 469 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान की गई परिसीमा अवधि के बाद संज्ञान लिया है।
9. तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, मीनाक्षी सिन्हा ने दिनांक 12.12.2025 के अपने स्पष्टीकरण में, पैराग्राफ संख्या 4 और 6 में इस आश्वासन के साथ उल्लेख किया है कि वह भविष्य में अधिक सतर्क रहेंगी। उपरोक्त स्पष्टीकरण के पैराग्राफ संख्या 4 और 6 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"4. जहाँ तक माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त नामित दो अभियुक्तों के इन आरोपों का प्रश्न है कि मामले में शामिल परिसीमा के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया और दिनांक 27.11.2024 के संज्ञान आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह निवेदन है कि पूरक आरोप-पत्र पर 27.11.2024 को संज्ञान लेते समय, राज्य के सहायक लोक अभियोजक सहित किसी ने भी परिसीमा के मुद्दे की ओर मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया था और वास्तविक भूल के कारण परिसीमा का बिंदु मेरे संज्ञान में नहीं आया। मैंने अपने न्यायालय के न्यायिक कार्यों के निर्वहन में पूर्ण सद्भावना के साथ उक्त पूरक आरोप-पत्र पर 27.11.2024 को संज्ञान आदेश पारित किया था। माननीय न्यायालय के समक्ष यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों में, और संभवतः अन्य राज्यों में भी प्रचलित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, अपराधों का संज्ञान लेने के प्रयोजनों के लिए पुलिस रिपोर्ट यानी आरोप-पत्र (या अंतिम रिपोर्ट) प्राप्त होने पर रिकॉर्ड की कोई गहन जांच या परीक्षण नहीं किया जाता है और मजिस्ट्रेट द्वारा केवल केस डायरी में मौजूद सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया विचार बनाया जाता है।"

"6. यदि माननीय न्यायालय को अभी भी उक्त पूरक आरोप-पत्र पर 27.11.2024 के संज्ञान आदेश को पारित करने में मेरी ओर से कोई चूक लगती है, तो अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह निवेदन है कि ऐसा मेरी ओर से किसी दुर्भावना के कारण नहीं हुआ है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से एक वास्तविक भूल का मामला है, जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय के समक्ष ईमानदारी से खेद प्रकट करती हूँ और भविष्य में अधिक सतर्क रहने का आश्वासन देती हूँ।"

10. तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, मीनाक्षी सिन्हा, जो वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के पद पर तैनात हैं, उन्होंने कानून के ज्ञाता के रूप में नहीं बल्कि एक आम आदमी की तरह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। उनके स्पष्टीकरण के अनुसार, "उत्तर प्रदेश राज्य की सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों में, और संभवतः अन्य राज्यों में भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रचलित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, अपराधों का संज्ञान लेने के प्रयोजनों के लिए पुलिस रिपोर्ट यानी आरोप-पत्र (या अंतिम रिपोर्ट) प्राप्त होने पर रिकॉर्ड की कोई गहन जांच या परीक्षण नहीं किया जाता है और मजिस्ट्रेट द्वारा केस डायरी में मौजूद सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया विचार बनाया जाता है।" ऐसी कोई भी प्रक्रिया उस कानून का विकल्प नहीं हो सकती जिसका दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेख नहीं है। इस तरह के स्पष्टीकरण और विवादित आदेश पारित करने से यह माना जा सकता है कि वह अपनी न्यायिक सेवा को बहुत हल्के में ले रही हैं और इसे न्याय प्रदान करने के एक गंभीर दायित्व के रूप में नहीं देख रही हैं। पीठासीन अधिकारी का व्यवहार और आचरण, जैसा कि उनके स्पष्टीकरण और संज्ञान आदेश से झलकता है, विभागीय कार्यवाही शुरू करने योग्य है, क्योंकि यह प्रथम दृष्टया उनके पद की गरिमा के प्रतिकूल आचरण को दर्शाता है, लेकिन अत्यंत उदार रुख अपनाते हुए, यह न्यायालय इस पहलू पर मौन है।

11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीनाक्षी सिन्हा को भविष्य में अधिक सतर्क रहने और कानून के अनुसार सख्ती से आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है; और वर्तमान कानून को उस प्रक्रिया (यदि कोई हो) द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता जो उत्तर प्रदेश राज्य की सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अवैध रूप से प्रचलित है।

12. अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों और न्यायालयों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे ऐसी प्रक्रिया का पालन न करें, जैसा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीनाक्षी सिन्हा के स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है।

13. **इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबंधक** को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश को न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को प्रेषित करें ताकि न्यायिक अधिकारियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जा सके, क्योंकि संज्ञान किसी भी आपराधिक मामले का आधार होता है, इसलिए संज्ञान आदेश कानून के अनुसार पारित किया जाना चाहिए।

14. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पी.के. चौधरी बनाम कमांडर, 48 बीआरटीएफ (जीआरईटी); (2008) 13 एससीसी 229 और**



सुरिंदर मोहन बिकल बनाम अशचराज लाल चोपड़ा; (1978) 2 एससीसी 403 और साथ ही पंजाब राज्य बनाम सरवन सिंह; (1981) 3 एससीसी 34, में दिए गए निर्णयों के अनुसार, विद्वान न्यायालय परिसीमा काल की समाप्ति के बाद संज्ञान नहीं ले सकता है।

15. इस न्यायालय ने मामले के संपूर्ण तथ्यों के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पी.के. चौधरी (उपरोक्त), सुरिंदर मोहन बिकल (उपरोक्त) और सरवन सिंह (उपरोक्त) के निर्णयों में प्रतिपादित कानून के प्रावधानों का सूक्ष्म अध्ययन किया है और यह मत बनाया है कि जहाँ कोई प्रावधान अनिवार्य है, वहाँ न्यायालय को कानून के आदेश के विपरीत संज्ञान नहीं लेना चाहिए।

16. तदनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के न्यायालय में लंबित केस संख्या 94500 वर्ष 2024 (राज्य बनाम सूरज ठाकुर एवं अन्य), जो थाना- फिरोजाबाद उत्तर, जिला- फिरोजाबाद के केस अपराध संख्या 246 वर्ष 2019, धारा 379, 411 भारतीय दंड संहिता से उत्पन्न है, की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ आवेदक अवनीश कुमार और सह-अभियुक्त सूरज ठाकुर के संबंध में दिनांक 26.06.2021 के आरोप-पत्र और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा पारित दिनांक 27.11.2024 के संज्ञान आदेश को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

17. अन्य पाँच अभियुक्तों, अर्थात् (i) अमन शाक्य, (ii) तनुज गौतम, (iii) आदर्श यादव, (iv) विशाल @ राजा और (v) राहुल @ भगौना के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी, जिनके विरुद्ध अलग से आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था और परिसीमा काल के भीतर संज्ञान लिया गया था।

18. तदनुसार, यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

जनवरी 19, 2026

के.तिवारी



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।